भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 1630

दिनांक 02 जुलाई, 2019 के लिए प्रश्न

विषय: कर्नाटक में डेयरी किसानों का कल्याण

1630. श्री एस॰ मुनिस्वामीः

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार कर्नाटक में कोलार जिले के दुग्ध किसानों के कल्याण हेतु कोई विशेष योजना/पैकेज प्रदान करने की योजना बना रही है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस योजना के कार्यान्वयन हेतु किन्हीं क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जिन जिलों को चिन्हित किया गया है उनका ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए क्या मानदंड अपनाया गया है।

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री

(डॉ. संजीव कुमार बालियान)

(क) विभाग मुख्यत: सहकारी क्षेत्र में दूध के संग्रहण, प्रशीतन, प्रसंस्करण और विपणन के लिए अवसंरचना को मजबूत करने के लिए कर्नाटक के कोलार जिले समेत देश में निम्नलिखित डेयरी विकास योजनाएं कार्यान्वयन कर रहा है:

(i) राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी)

(ii) डेयरी प्रसंस्करण अवसंरचना विकास निधि (डीआईडीएफ)

(iii) राष्ट्रीय डेयरी योजना-चरण । (एनडीपी-।)

कर्नाटक के कोलार और चिक्कबल्लापुर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादन संघ लिमिटेड के लिए स्वीकृत योजना वार परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार है:-

योजना	**परियोजनाओं की संख्या**	**कुल परिव्यय (करोड़ रू. में)**
एनपीडीडी	02	2.71
डीआईडीएफ *	01	158.90
एनडीपी।-	03	10.08

* डीआईडीएफ नाबार्ड के माध्यम से ऋण सहायता प्रदान करती है।

(ख) और (ग) उपरोक्त उल्लिखित योजनाएं क्षेत्र विशिष्ट नहीं हैं बल्कि कर्नाटक के साथ-साथ पूरे भारत में लागू हैं।

*****